उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6618 /   जबलपुर, दिनांक २५/12/2018
दो–14–95/17

श्रीमती जया पाल, सहायक ग्रेड–तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध सिविल रिवीजन अनुभाग में डी.ए. के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रकरण सिविल रिवीजन क. 292/2009 के अभिलेख गुम करने के आरोप पर रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/122/दो–14–95/2017, जबलपुर दिनांक 08.01.2018 द्वारा विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2018 में आरोप स्वीकार करने से सिद्ध पाए जाने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के घोर कदाचार कारित करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत उनकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

18/12/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
for रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6619 /   जबलपुर, दिनांक २५/12/2018
दो–14–95/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/इंदौर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, ... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्रीमती जया पाल, सहायक ग्रेड–तीन, उच्च [illegible]

की ओर सूचनार्थ एवं [illegible]